

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2988 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 13/05/2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद- चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० 42256/2019।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 4718/12-1 दिनांक 04.05.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(~~डॉ० कोकी रोसे~~)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4718

/ 12-1

दिनांक , चम्पावत 04-05-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय – जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 हैठ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में {Online No-FP/UK/ROAD/42256/2019}

संदर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट की पत्र संख्या 762/20सी दिनांक, चम्पावत, 29.04.2024।

महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्रांक 1726/FP/UK/ROAD/42256/2019 दिनांक 19.01.2023 द्वारा 05 बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माणखण्ड, लोहाघाट द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1.	The information related to alternate examination is not filled in online part-I at para-D the state govt. is requested to fill the information in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के ऑनलाईन भाग-1 पैरा-डी में वैकल्पिक समरेखण से सम्बन्धित वॉछित सूचना भर दी गयी है। (संलग्न-1)
2	The information related to tree enumeration is not properly filled in online part-II at para-4(ii). The state govt. is requested to fill the information related to tree enumeration in online part-II at para-4(ii).	प्रस्तावित मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण के लिए कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः online part-II at para-4(ii) में वृक्षों की संख्या शून्य है।
3	The muck disposal plan submitted by the state govt. is not clear. The state govt. in requested to submit clear muck disposal plan showing clear calculation regarding the muck generated, utilized and disposed over the selected sites and also submit the reclamation plan for the area proposed for muck dumping.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु वॉछित योजना जिसमें मलवा उत्सर्जन पुनः उपयोग एवं अतिरिक्त मलवे का गणनात्मक प्रस्ताव जिसमें चयनित स्थल में अतिरिक्त मलवे का समायोजन किये जाने के साथ-साथ मलवा निस्तारण हेतु चयनित भूमि का Reclamation Plan संलग्न कर ऑनलाईन कर दिया गया है (संलग्न-2)

4	The state Govt. has uploaded the CA area against the KML of diversion area showing location of villages to the benefitted and alternate alignment.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की केएमएल को ऑन लाईन के भाग-1 में सही स्थान में अपलोड कर दिया गया है (संलग्न-3)
5	The 1.40 ha. CA area of this proposal is overlapping with CA area of online proposal FP/UK/ROAD/38399/2019. Therefore, need to be replaced with some other suitable area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/42256/2019 का 1.400 है० भाग प्रस्ताव सं० से FP/UK/ROAD/38399/2019 overlapping हो रहे भाग को पृथक कर दिया गया है एवं वृक्षारोण हेतु उपयुक्त नवीन CA Land 5.50 है० बना कर पुनः अपलोड कर दिया गया है (संलग्न-4)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।
 संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,


 (आर०सी०काण्डपाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 4718 / 12-1 तददिनांकित।
 प्रतिलिपि- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
 चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।